बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 ई० ।

संख्या-1स्था०-33/2024-3497 वि०स० । बिहार विधान सभा सचिवालय के आदेश ज्ञापांक-2स्था०-440/2020-920, दिनांक 12.03.2024 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/एम०-63/2023 सा०प्र०-10000, दिनांक 10.07.2015 जो सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में है, में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-2स्था०-440/2020-927, दिनांक 13.03.2024 के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेशानुसार पूर्व में सेवानिवृत्त दो निदेशकों को सभा सचिवालय के कार्यहित में निदेशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन किया गया । इस क्रम में संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार से परामर्श प्राप्त किया गया ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त परामर्श के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/एम०-63/2023 सा०प्र०-10000, दिनांक 10.07.2015 को बिहार विधान सभा सचिवालय में अंगीकृत करते हुए बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2018 के नियम-22 सह-पठित नियम-26 में प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के तहत अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने आदि के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :-

बिहार विधान सभा सचिवालय (संविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (संविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024 कहा जा सकेगा ।
2. बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2018 की अनुसूची के क्रम सं०-3 से 43 पर अंकित पदों पर संविदा आधारित नियोजन की जा सकेगी ।
3. इस आदेश की कंडिका-2 में वर्णित पदों पर कार्यरत कर्मियों में से सेवानिवृत्त पदाधिकारी / कर्मचारी का संविदा आधारित नियोजन, सभा सचिवालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जा सकेगा ।
4. इस आदेश के प्रभावी होने के पूर्व में की गयी संविदा आधारित नियोजन एवं इस संदर्भ में ली गयी कार्रवाई इस आदेश के संगत उपबंधों के अध्याधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

Khyati Singh
(ख्याति सिंह) 26/12/24
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-33/2024- 3498 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26-12- 2024 ई० ।

प्रतिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-33/2024- 3498 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26-12- 2024 ई० ।

प्रति:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-33/2024- 3498 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26-12- 2024 ई० ।

प्रतिलिपि:-सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी / कर्मचारीगण / अवधायक शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा / मार्शल शाखा, बिहार विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एंव आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-33/2024- 3498 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26-12- 2024 ई० ।

प्रति:-निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के अवलोकनार्थ ।

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

ज्ञापांक-1स्था०-33/2024- 3498 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26-12-2024 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय ।

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

26.12.2024